उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–17/2020–21

प्रमोद कुमार यादव

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 15/5/23

अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता प्रमोद कुमार यादव, पे0–लाले यादव, सा0–बनियाँडीह, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–122/16–17 के आदेश दिनांक–17.01.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–122/16–17 के आदेश दिनांक–17.01.2019 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–रूंजी, जमाबंदी सं0–99, दाग नं0–440 रकवा 00–01–06 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल किये गये अपील आवेदन में उल्लेख है कि मौजा–रूंजी के जमाबंदी सं0–99, दाग नं0–440 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में भीखारी भगत एवं अन्य के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। निम्न न्यायालय में आवेदक सदाशिव भगत के द्वारा आर0ई0आर0 वाद दायर किया गया था। आवेदक सदाशिव भगत जमाबंदी रैयत भीखारी भगत के वंशज है। जबकि अपीलकर्त्ता को जमाबंदी रैयत बैशाखी भगत के वंशज प्रहलाद भगत के द्वारा मौजा–रूंजी के जमाबंदी के अंदर दाग नं0–404 में रकवा 00–01–10 धुर जमीन दान स्वरूप दिया गया है एवं अपीलकर्त्ता उस पर मकान बनाकर सपरिवार रह रहे है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर प्रतिकुल प्रभाव से दखल है। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा गलत तरीके से अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा दिये गये अपील आवेदन के आलोक में उत्तरवादी दिलीप भगत, प्रहलाद भगत की ओर से लिखित बहस दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया है कि मौजा–रूंजी नं0–255, जमाबंदी सं0–99, दाग नं0–440 रकवा 00–01–10 धुर जमीन पर अपीलकर्त्ता मकान बनाकर रह रहे है। अपीलकर्त्ता का उसपर दखल कब्जा है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा मौजा–रूंजी नं0–255, जमाबंदी सं0–99, दाग नं0–440 के अन्तर्गत रकवा 00–01–10 धुर जमीन दान से प्राप्त करने का दावा किया गया है एवं उनका आवेदन है कि उसपर अपीलकर्त्ता प्रतिकुल प्रभाव से दखलकार है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रतिकुल प्रभाव से दखल होने का कोई भी साक्ष्यजनित कागजात दाखिल नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का दावा निराधार प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–122/16–17 में दिनांक–17.01.2019 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:34:02 +05:30
Location: 172.21.32.1